न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./13/2024

1. श्रीमति गंगा पत्नी अमरा जाति रावत
2. श्री जस्सा पुत्र हजारी जाति रावत(ना0 औ0 फौत)
3. श्री नानू पुत्र अमरा जाति रावत
4. नारायण पुत्र भीया जाति रावत
5. प्रभु पुत्र सुरजमल जाति रावत
6. श्रीमति पानी पत्नी सूरजमल जाति रावत
7. श्री फतेह सिंह पुत्र सुरजमल जाति रावत
8. श्रीमति रमती पत्नी भाला जाति रावत
9. श्री लक्ष्मण पुत्र देवी जाति रावत समस्त निवासीगण देवपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री शंकर पुत्र उगमा जाति रावत
2. श्री मुन्ना पुत्र उगमा जाति रावत
3. श्री शैतान पुत्र उगमा जाति रावत
4. श्री पप्पु पुत्र उगमा जाति रावत
5. श्री कूका पुत्र उगमा जाति रावत
6. श्री कर्मा पुत्र गोपी जाति रावत
7. श्री धर्मा पुत्र गोपी जाति रावत
8. श्री गिरधारी पुत्र गोपी जाति रावत
9. श्री सुखदेव पुत्र लादू जाति भील
10. श्री मीठू पुत्र छगना जाति भील
11. श्री बालू पुत्र भीमा जाति रावत
12. श्री महेन्द्र पुत्र भीमा जाति रावत
13. श्री जीवराज पुत्र भीमा जाति रावत
14. श्रीमति अनिता पत्नी कालु जाति मेघवंशी समस्त निवासीगण देवपुरा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री मोहम्मद युसुफ
2 . पैरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

Scanned with CamScanner

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा देवपुरा पटवार क्षेत्र पड़ागा भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 65 में दर्ज खसरा नं. 169 रकबा 0.25, खसरा नम्बर 172 रकबा 0.23, खसरा नं. 176 रकबा 0.26, खसरा नं. 177 रकबा 0.13, खसरा नं. 178 रकबा 0.14, खसरा नं. 179 रकबा 0.21, खसरा नं. 180 रकबा 0.21, खसरा नं. 181 रकबा 0.30, खसरा नं. 182/2063 रकबा 0.08, खसरा नं. 184/2064 रकबा 0.05 कुल किता 10 कुल रकबा 1.86 हैक्ट** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 14 प्रार्थीगण की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 15 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 तथा 10 लगायत 14 तक की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 08 तथा 10 लगायत 14 तक के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 तथा 09 द्वारा पत्रावली में उपस्थित होकर प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढ़ी बाबत् अनापत्ति प्रकट की। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम देवपुरा के खाता संख्या 65 संवत 2072–2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा देवपुरा पटवार क्षेत्र पड़ागा भू0अ0नि0 क्षेत्र सिंगावल के खाता सं0 65 में दर्ज खसरा नं. 169 रकबा 0.25, खसरा नम्बर 172 रकबा 0.23, खसरा नं. 176 रकबा 0.26, खसरा नं. 177 रकबा 0.13, खसरा नं. 178 रकबा 0.14, खसरा नं. 179 रकबा 0.21, खसरा नं. 180 रकबा 0.21, खसरा नं. 181 रकबा 0.30, खसरा नं. 182/2063 रकबा 0.08, खसरा नं. 184/2064 रकबा 0.05 कुल किता 10 कुल रकबा 1.86 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner